

एन0पी0वी0 आंकलन प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि रेणुकूट वन प्रभाग के अनपरा/पिपरी रेंज के अन्तर्गत मेंसर्स हिण्डालको इण्डस्ट्रीज लिमिटेड (रेणुसागर पावर डिविजन) को भारत सरकार के आदेश संख्या 8-75/95-एफ.सी. दिनांक 17.07.1996 एवं उ0प्र0 राज्य सरकार के आदेश संख्या 5281/14-2-96-800(27)/1995 दिनांक 15.10.1996 द्वारा रेणुसागर पावर प्लांट से हिण्डालको प्लांट, रेणुकूट तक वर्ष 1996 में 25 वर्षों के लिये (दिनांक 15.10.1996 से 14.10.2021 तक) 52.9666 हेक्टेयर वन भूमि 132 के.वी. विद्युत पारेषण लाईन के निर्माण हेतु उपरोक्त शासनादेशों में उल्लिखित शर्तों के अधीन प्रदान किया गया था। लीज पर दी गयी उपरोक्त 52.9666 हेक्टेयर वनभूमि को हिण्डालको संस्थान द्वारा पुनः 25 वर्षों हेतु (दिनांक 15.10.2021 से 14.10.2046 तक) लीज पर लिये जाने की आवश्यकता है। प्रस्तावित वनभूमि का एन0पी0वी0 आंकलन निम्नानुसार है :-

क्र0सं0	भूमि का विवरण	क्षेत्रफल (हे0)	इको क्लास-03 के अनुसार एन0पी0वी0 की दर (प्रति हे0)	निर्धारित धनराशि
1	आरक्षित वनभूमि	52.9666	13,57,110.00	7,18,81,502.52 या 7,18,81,503.00
(रूपया सात करोड़ अठारह लाख इक्यासी हजार पाँच सौ तीन मात्र)				



क्षेत्रीय वन अधिकारी
अनपरा रेंज
वन प्रभाग रेणुकूट

(प्रमाणित मिश्र)
प्रमाणित वन अधिकारी
रेणुकूट वन प्रभाग, रेणुकूट-लोगभट्ट
रेणुकूट वन प्रभाग, रेणुकूट